जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

चूरू

Rashtradoot

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 17 संख्याः 107 प्रभात चूरू, बुधवार 13 अगस्त, 2025 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

क्या अमित शाह के उम्मीदवार बालियान कांस्टिट्यूशन क्लब के प्रैसिडेंट का चुनाव जीत जायेंगे दिल्ली में?

मुजफ्फरपुर के जाट नेता संजीव बालियान का मुकाबला, क्लब के बीस साल से प्रैसिडेंट, बिहार के राजपूत नेता राजीव प्रताप रूडी से है

- रेणु मित्तल -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 12 अगस्त। भारत की संसद से जुड़े मौजूदा और पूर्व सांसदों की सदस्यता वाले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव को लेकर इस बार जैसी चर्चा और उत्सुकता देखी जा रही है, वैसी पहले कभी नहीं हुई।

आज लुटियंस दिल्ली स्थित विठ्ठल भाई पटेल हाउस में इस क्लब के चुनाव हुए, जहां सियासत की दुनिया की तमाम बड़ी हस्तियां मतदान करने पहुंचीं।

इस बार चुनाव का दिलचस्प पहलू यह है कि मुकाबला भाजपा के ही दो नेताओं के बीच है।

राजीव प्रताप रूडी, जो पिछले 20 वर्षों से क्लब के अध्यक्ष रहे हैं, इस बार के खिलाफ मैदान में हैं भाजपा के ही संजय बालयान, जो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से जाट सांसद हैं।

लेकिन इस मुकाबले का सबसे अहम पहलू यह है कि संजय बालयान को समर्थन मिला है देश के सबसे ताक़तवर गृह मंत्री अमित शाह का, जो रूडी को हराना चाहते हैं।

- अब तक इस क्लब के चुनाव में सौ से सवा सौ वोट ही पड़ते थे, पर इस बार 707 की वोटिंग हुई है, तथा इसमें 38 पोस्टल बैलेट भी हैं। मज़े की बात है कि दोनों उम्मीदवार भाजपा के सदस्य हैं। तथा नामी गिरामी भाजपा नेता जैसे अमित शाह, जे.पी. नड्डा, गिरिराज सिंह, खट्टर, गजेन्द्र सिंह शेखावत, रिजिजू, कृष्णा रेड्डी के अलावा दो राज्यपाल भी वोट करने उतरे।
- कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता जो एक दूसरे के सख्त खिलाफ भी हैं, वोट करने आये और चर्चाओं के अनुसार बालियान के पक्ष में मतदान किया, क्योंकि वे दोनों नेता भी जाट ही हैं।
- कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी व मल्लिकार्जुन खड़गे भी वोट करने आये।

जहां आम तौर पर इस चुनाव में 100 के करीब वोट पड़ते हैं, इस बार 707 वोट डाले गए, जिनमें से 38 पोस्टल बैलेट थे। क्लब की कुल सदस्यता 1295 है।

अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा दोनों एक ही कार में बैठकर वोट डालने पहुंचे। वहीं, सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मतदान करने पहुंचे।

वोट डालने वालों में गिरिराज सिंह, मनोहर लाल खट्टर, गजेन्द्र सिंह शेखावत, किरण रिजिजू, जी. किशन रेड्डी, दो राज्यपाल और कई अन्य मंत्री शामिल थे।

दिलचस्प बात यह रही कि कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता, जो आमतौर पर एक-दूसरे के धुर विरोधी माने जाते हैं और किसी मुद्दे पर एकमत नहीं होते, उन्होंने भी संजय बालयान को वोट दिया, सिर्फ इसलिए, क्योंकि वे भी जाट समुदाय से आते हैं।

भारत में जातीय हकीकत का इससे बेहतर कोई और उदाहरण नहीं दिखता।

राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संविधान क्लब के सदस्य नहीं हैं, इसलिए वे वोट नहीं डाल सके।

गिनती अब भी जारी है और रूडी आगे चल रहे हैं। यह हाई वोल्टेज चुनाव इस समय राजधानी की सियासत का सबसे गर्म मुद्दा बन चुका है और सत्तारूढ़ दल के लिए भी एक मुश्किल चुनौती है।

अगर वोटों की गिनती का मौजूदा रुझान देर रात तक जारी रहता है, तो यह गृह मंत्री अमित शाह के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका साबित हो सकता है। राजीव प्रताप रूडी इस समय लगातार

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राजस्थान विधानसभा का अधिवेशन 1 सितम्बर से

जयपुर, 12 अगस्त। सोलहवीं राजस्थान विधानसभा का चतुर्थ अधिवेशन सोमवार 1 सितम्बर से शुरू होगा। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि विधानसभा के इस अधिवेशन के संबंध में राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने अधिसूचना जारी कर दी है। वासुदेव देवनानी ने सोलहवीं राजस्थान विधानसभा के चतुर्थ सत्र से संबंधित विभिन्न तैयारियों की समीक्षा की।

देवनानी ने विधानसभा के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा को

- राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने अधिसूचना जारी की।

सत्र से संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं को निर्धारित अवधि में किये जाने के आवश्यक निर्देश दिये। सत्र के दौरान, राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों, विधायी कार्यों एवं जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही प्रश्न, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विशेष उल्लेख प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव जैसे संसदीय कार्य भी संपादित होंगे।

स्पीकर वासुदेव देवनानी सोलहवीं राजस्थान विधानसभा के चतुर्थ अधिवेशन से पूर्व विधान सभा में सर्वदलीय बैठक भी बुलायेंगे। विधानसभा में अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने ही सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाये जाने की पहल की है। विधानसभा के इतिहास में यह महत्वपूर्ण नवाचार है।

"भारत सरकार ने हमारे अडानी ग्रुप को भेजे गये सम्मन की सर्विस नहीं करवाई है"

अमेरिका के सिक्युरिटीज़ एण्ड एक्सचेंज कमिशन ने न्यूयॉर्क के न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट में आरोप लगाया

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 अगस्त। न्यूयॉर्क की एक अदालत में पेश की गई एक स्टेटस रिपोर्ट में, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिभूति और विनिमय आयोग सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने कहा है कि गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और अडानी समूह को समन भेजने के लिए भारत से सहायता मांगे हुए छह महीने हो चुके हैं, लेकिन दस्तावेज़ अब तक सौंपे नहीं गए हैं।

एसईसी ने 11 अगस्त को ईस्टर्न कोर्ट को सूचित किया कि उसने "हेग सर्विस कन्वेंशन के तहत सेवा प्रभावी करने के लिए भारतीय अधिकारियों से सहायता का अनुरोध किया था," लेकिन "उन अधिकारियों ने अभी तक सेवा प्रभावी नहीं की है।"

यह समन उस मामले से संबंधित है, जो पिछले वर्ष 20 नवंबर को दर्ज किया गया था, जिसमें अमेरिकी अभियोजकों (प्रासिक्यूटर्स) ने गौतम अडानी, सागर अडानी और अन्य पर कथित रुप से रिश्वतखोरी, प्रतिभूति धोखाधड़ी, वायर फ्रॉड और संबंधित साजिशों के आरोप लगाए थे।

- कमिशन के अनुसार पिछले वर्ष नवम्बर माह में बीस तारीख को, अमेरिका के अभियोजन पक्ष के अनुसार न्यायालय ने औपचारिक अभियोग पत्र जारी किया था, जिसमें गौतम अडानी, सागर अडानी आदि पर 2029 करोड़ रुपये की रिश्वत सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया को देने का आरोप है।
- अमेरिका के कमिशन ने हैग सर्विस कन्वैशन के प्रावधान के अनुरूप इस मुकदमे के सम्मन भारत सरकार को दिये थे, अडानी ग्रुप के कर्ताधर्ताओं के सर्विस कराने के लिए।
- पर, अब तक अगस्त माह में भी ये सम्मन सर्विस नहीं हो पाये हैं।

एसईसी की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) के माध्यम से सौर ऊर्जा सौदों को हासिल करने के लिए 2,029 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी।

अदालत में पेश किये गये दस्तावेज़ में कहा गया है कि एसईसी ने प्रतिवादियों और उनके वकीलों को सीधे नोटिस ऑफ लॉ सूट और समन की सेवा में छूट के अनुरोध, जिसमें शिकायत की प्रतियां शामिल थीं, भेजे हैं, और एसईसी ने भारत के विधि और न्याय मंत्रालय से भी संपर्क किया है। एसईसी का मानना की समझ है कि उन अधिकारियों ने अब तक समन की सेवा प्रभावी नहीं की है।

आरोप-पत्र के अनुसार, इस कथित योजना में आंध्र प्रदेश में अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए "एज़र पावर" के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इज़रायल के राजदूत का प्रियंका गांधी से भिड़ना कुछ जमता नहीं?

राजदूत ने प्रियंका गांधी को नसीहत दी कि प्रियंका गांधी का हमास के आंकड़ों पर भरोसा करना सच्चाई से धोखा है

- डॉ. सतीश मिश्रा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 12 अगस्त। इज़रायली राजदूत रूवेन अज़र आज उस समय कूटनीतिक रेखा को पार कर गये, जब उन्होंने कांग्रेस सांसद और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। प्रियंका ने भाजपा-नीत केन्द्र सरकार पर आरोप लगाया था कि जब इज़रायल ने फिलिस्तीन के लोगों पर कहर ढाया, तब भारत सरकार चुप रही। उन्होंने कहा था कि चुप्पी और निष्क्रियता के माध्यम से इन अपराधों को बढ़ावा देना स्वयं एक अपराध है।

प्रियंका गांधी के इस सोशल मीडिया पोस्ट पर इज़रायली राजदूत की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें हमास के आँकड़ों पर विश्वास नहीं करना चाहिए।

राजदूत अज़र ने कहा : "शर्मनाक बात आपका छल है। इज़रायल ने

- प्रियंका गांधी ने एक्स पर ट्वीट किया था, कि इज़रायल ने 60 हजार व्यक्तियों को मार डाला है, गाजा पर अपने आक्रमणों से। इनमें 18,430 बच्चे हैं। इज़रायल ने सैंकड़ों व्यक्तियों को भूख से मारा है, लाखों व्यक्तियों को इसी तरह मारने की धमकी दे रहा है। तथा भारत सरकार इस मुद्दे पर चुप्पी साधकर, इस नरसंहार में सहभागी हैं।
- इज़रायली राजदूत का कहना है कि मानव जीवन का नुकसान गाज़ा में हमास की रणनीति के कारण है, क्योंकि वे और उनके सैनिक नागरिकों को शील्ड बनाकर गोला-बारी करते हैं। तथा गत पचास साल में इस क्षेत्र की आबादी में 450 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, अतः जनसंहार का आरोप निराधार है। इज़रायल ने बीस लाख टन भोजन गाज़ा स्ट्रीप पर भेजा है, पर हमास उस पर कब्जा करके भुखमरी का छलावा करता है।

25,000 हमास आतंकवादियों को मार गिराया है। मानवीय जीवन की भयावह क्षति हमास की उन नीच रणनीतियों का

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जस्टिस वर्मा पर महाभियोग के लिए समिति गठित

नयी दिल्ली, 12 अगस्त। लोक सभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने के प्रस्ताव पर मंगलवार को तीन सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की, जिसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के एक-एक न्यायाधीश और एक

- लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला ने तीन सदस्यीय समिति गठित की है समिति में सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट का एक-एक जज व एक कानूनविद शामिल है।

कानूनविद् शामिल हैं।

बिड़ला ने लोक सभा में महाभियोग प्रस्ताव को लेकर सदन को अवगत कराते हुए कहा कि इस समिति में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अरविंद कुमार, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रम्प ने "डिक्टेटरशिप" की दिशा में एक और कदम उठाया

वॉशिंगटन की सड़कों पर सेना की टुकडियां तैनात की, इस तैनाती की घोषणा करते समय उनके पीछे रक्षा मंत्री पीट हेगसेट और इंटेलिजेंस के चीफ काश पटेल अटैंशन में खड़े थे

- अंजन रॉय -
- राष्ट्रीय ब्यूरो -

नई दिल्ली, 12 अगस्त। पल भर में, डॉनल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका, पाकिस्तान जैसी वैकल्पिक वास्तविकता की ओर बढ़ गया है और भारत से दूर हो गया है। वॉशिंगटन की सड़कों का नज़ारा अब विविध विचारों वाले किसी पश्चिमी लोकतांत्रिक शहर की बजाय, तियानमन स्क्वायर जैसा प्रतीत होता है।

इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर, अमेरिका में बैठकर भारत के आर्थिक संसाधनों पर हमले के धमकी भरे बयान

- अनहोनी बात यह है, कि, अब तक शहरों की सड़को व कॉलोनियों में कानून-व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी विश्व के दूसरे सबसे बड़े प्रजातंत्र में, पुलिस की मानी जाती थी।
- इतिहास गवाह है, कि, हर प्रजातंत्र का राष्ट्रीय प्रमुख "डिक्टेटरशिप" का पद सम्भालने से पहले ऐसा ही पहला कदम उठाता है, कानून व्यवस्था को खतरा होने का बहाना प्रचारित करके।

आसानी से दे रहे हैं। पिछले दिनों हुई पहलगाम जैसी घटनाओं को देखते हुए, एक और संघर्ष का दौर शुरू हो सकता है, और ट्रंप ऐसे तानाशाहों को रिझा सकते हैं, ताकि वे उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित कर दें।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिकी राजधानी का सैन्यीकरण कर दिया है और ताकत के प्रदर्शन के रूप में, सड़कों पर सैनिक तैनात कर दिए हैं। वे यह कदम इसलिए उठा रहे हैं, क्योंकि सड़कों पर हिंसा, गोलीबारी, लूटपाट जैसे मामले बढ़ते जा रहे है और बेघर लोगों की बढ़ती संख्या ने सुंदर पार्कों में डेरा जमा लिया है।

राष्ट्रपति की शिकायतों में कुछ सच्चाई हो सकती है, क्योंकि हर अमेरिकी नगर और महानगर में अपराध की घटनाएँ होती रही हैं। लेकिन अब तक किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने घरेलू अपराधों से निपटने के लिए सेना का उपयोग करने के बारे में सोचा तक नहीं

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)